**अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान**
(हिंदी अनुभाग)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29.

फा.सं.7-1/2026-हिं.अ.

दिनांक: 08.05.2026

**विषय: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 30.03.2026 को आयोजित हुई बैठक का कार्यवृत्त।**

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 30.03.2026 को अपराहन 03.00 बजे, संस्थान के निदेशक एवं अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति महोदय की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक का कार्यवृत्त सूचना/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

संस्थान के सभी संबद्ध विभागों/अनुभागों/केंद्रों से अनुरोध है कि बैठक में लिए गए निर्णयों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए और इस संबंध में की गई कार्रवाई की सूचना हिंदी अनुभाग को भी दी जाए।

यह कार्यवृत्त माननीय निदेशक महोदय के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(पदम सिंह)
वित्त सलाहकार एवं
वरिष्ठ हिंदी अधिकारी (का.)

**वितरण:-**

- तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्त्ता सभी अनुभागों/केन्द्रों के वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी/प्रशासन अधिकारीगण।
- प्रभारी आचार्य (कंप्यूटर सुविधा)।
- सहायक परीक्षा नियंत्रक, परीक्षा अनुभाग।
- प्रशासन अधिकारी, भर्ती प्रकोष्ठ।

**प्रतिलिपि:-**

- निदेशक/संकायाध्यक्ष(शैक्षिक/अनुसंधान/परीक्षा)/चिकित्सा अधीक्षक महोदया के प्रधान निजी सचिव।
- अपर निदेशक (प्रशासन) महोदय के प्रधान निजी सचिव।
- वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी/उप-सचिव महोदय के निजी सचिव।
- वित्त सलाहकार/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी महोदय के निजी सचिव।
- संयुक्त निदेशक (राजभाषा), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली।
- संयुक्त निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली।
- प्रभारी आचार्य(कंप्यूटर सुविधा) - कृपया इसे एम्स की वेबसाइट पर अपलोड करवाने की कृपा करें।

**अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 30.03.2026 को माननीय निदेशक महोदय की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक का कार्यवृत्त।**

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की जनवरी-मार्च, 2026 अवधि की एक बैठक दिनांक 30.03.2026 को अपराह्न 03.00 बजे, प्रो. एम. श्रीनिवास, निदेशक एवं अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में निदेशक समिति कक्ष में आयोजित हुई। इस बैठक में संस्थान के निम्नलिखित अधिकारीगण ने भाग लिया:

1. श्रीमती दिव्या यानामदाला, वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली।
2. श्री पदम सिंह, वित्त सलाहकार एवं वरिष्ठ हिंदी अधिकारी (का.), एम्स, नई दिल्ली।
3. अधीक्षण अभियंता के प्रतिनिधि:- श्री मोहन लाल, कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली।
4. श्री रविन्द्र कुमार, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, स्थापना अनुभाग (नि.का.), एम्स, नई दिल्ली।
5. श्री राज कुमार, प्रशासनिक अधिकारी, संकाय प्रकोष्ठ, एम्स, नई दिल्ली।
6. श्रीमती दीपा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, संपदा अनुभाग, एम्स, नई दिल्ली।
7. श्री अनिल कुमार, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, ई.एच.एस. एवं ए.सी.आर. प्रकोष्ठ, एम्स, नई दिल्ली।
8. श्री राजेन्द्र भट्ट, प्रशासनिक अधिकारी, समन्वय प्रकोष्ठ, नई दिल्ली।
9. श्रीमती ज्योति, सहायक लेखा अधिकारी, बजट अनुभाग, एम्स, नई दिल्ली।
10. प्रो. राजकुमार यादव, उप-छात्रावास अधीक्षक, छात्रावास अनुभाग, एम्स, नई दिल्ली।
11. डॉ. उमेश कुमार, सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी, बी.बी. दीक्षित पुस्तकालय,एम्स,नई दिल्ली।
12. श्री राहुल यादव, वरिष्ठ प्रशासनिक सहायक, अनुसंधान अनुभाग, एम्स, नई दिल्ली।
13. प्रभारी आचार्य, कंप्यूटर सुविधा के प्रतिनिधि:- श्री अमित भाटी, वरिष्ठ प्रोग्रामर, कंप्यूटर सुविधा, एम्स
14. श्री हरगोपाल सिंह, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, परीक्षा अनुभाग, एम्स, नई दिल्ली।
15. श्रीमती हरीशा सूरी, कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, भंडार अनुभाग (नि.का.), एम्स, नई दिल्ली।
16. श्रीमती सुधा महेन्द्रू, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, स्थापना अनुभाग (अस्पताल), एम्स, नई दिल्ली।
17. श्री मनबर, वरिष्ठ प्रशासनिक सहायक, डॉ. रा.प्र. केंद्र, एम्स, नई दिल्ली।
18. श्री ज्ञानचंद, प्रशासनिक अधिकारी, हृद् तंत्रिका केंद्र, एम्स, नई दिल्ली।
19. श्रीमती पूनम, कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, डॉ. भी.रा.अं.सं.रो.कैं.अ., एम्स, नई दिल्ली।
20. श्री महेन्द्र पाल सिंह, प्रशासनिक अधिकारी, दंत शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र एवं राष्ट्रीय औषध निर्भरता उपचार केंद्र, एम्स, नई दिल्ली।
21. श्री प्रमोद कुमार, हिंदी अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली।

श्री पदम सिंह, वित्त सलाहकार तथा वरिष्ठ हिंदी अधिकारी एवं सदस्य सचिव की ओर से हिंदी अधिकारी ने बैठक की कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए माननीय निदेशक एवं अध्यक्ष महोदय, वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी महोदया तथा बैठक में उपस्थित अन्य सभी अधिकारीगण का स्वागत किया और तत्पश्चात बैठक की कार्रवाई प्रारम्भ की गई। सर्वप्रथम, माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 09.12.2025 को आयोजित हुई पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

1. **भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2026-27 हेतु जारी वार्षिक कार्यक्रम <u>संबंधी:-</u>** हिंदी अधिकारी ने माननीय समिति को अवगत कराया कि राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2025-26 का वार्षिक कार्यक्रम माननीया वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी महोदया की ओर से संस्थान के सभी विभागों/अनुभागों/केंद्रों में सूचना एवं उचित कार्रवाई हेतु दिनांक 30.04.2025 को परिचालित किया गया था। हिंदी अधिकारी ने समिति को यह भी सूचित किया कि राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पिछली बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु संस्थान के सभी विभागों/अनुभागों/केंद्रों द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाएं जिसके अनुपालन में दिनांक 31.01.2026 को माननीया वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी महोदया की ओर से पुन: एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया।

हिंदी अधिकारी ने समिति को यह भी अवगत कराया कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2026-27 हेतु भी वार्षिक कार्यक्रम जल्दी ही जारी किया जाने वाला है और वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु पूरे भारत को 3 भागों में निम्नानुसार बांटा गया है जिसके अनुसार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली “क” क्षेत्र में आता है:-

- "क" क्षेत्र में बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड राज्य तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित हैं।

- “ख” क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब राज्य तथा चण्डीगढ़, दमन और दीव तथा दादरा व नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित हैं।

- "ग" क्षेत्र में वे सभी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित हैं जो "क" तथा "ख" क्षेत्र में शामिल नहीं किए गए हैं।

माननीय समिति द्वारा वार्षिक कार्यक्रम पर विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2026-27 हेतु जारी किए जाने वाले वार्षिक कार्यक्रम को भी संस्थान के सभी विभागों/अनुभागों/केंद्रों की सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु परिचालित किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय ने समिति के उपर्युक्त निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान करते हुए आदेश दिया कि राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2026-27 हेतु जारी किए जाने वाले वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु संस्थान के सभी विभागों/अनुभागों/केंद्रों द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाएं।

**कार्रवाई - हिंदी अनुभाग/अनुपालनकर्ता उपर्युक्त सभी विनिर्दिष्ट अनुभाग/केन्द्र**

2. **<u>संस्थान में हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण प्रदान करने संबंधी:-</u>** इस विषय के संदर्भ में हिंदी अधिकारी ने माननीय समिति को अवगत कराया कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशा-निदेशों के अनुपालन में संस्थान के नियमित कनिष्ठ प्रशासनिक सहायकों/डाटा एंट्री ऑपरेटरों/आशुलिपिकों आदि को हिंदी टंकण/आशुलिपि के अनिवार्य प्रशिक्षण हेतु नियमित रूप से नामित किया जाता है। हिंदी अधिकारी द्वारा माननीय समिति को यह भी सूचित किया गया कि हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण की कक्षाओं में वर्तमान में संस्थान के 05 कर्मचारीगण हिंदी टंकण/हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

इस विषय पर विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त माननीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण के आगामी सत्रों में भी संस्थान के नियमित कनिष्ठ प्रशासनिक सहायकों/डाटा एंट्री ऑपरेटरों/आशुलिपिकों/वैयक्तिक सहायकों का नियमानुसार नामांकन सुनिश्चित किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय ने समिति के इस निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

**कार्रवाई - हिंदी अनुभाग एवं सभी विभाग/अनुभाग/केंद्र**

3. **<u>संस्थान में हिंदी पदों का सृजन संबंधी:-</u>** हिंदी अधिकारी ने माननीय समिति को सूचित किया कि पिछली बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि भर्ती प्रकोष्ठ द्वारा संस्थान में कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी (हिं.) के रिक्त 03 नियमित पदों को भरने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। हिंदी अधिकारी द्वारा माननीय समिति को अवगत कराया कि इस संबंध में परीक्षा अनुभाग द्वारा कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी (हिं.) के 02 रिक्त पदों को नियमित आधार पर भरने के लिए दिसम्बर, 2025 में आयोजित सी.आर.ई. (CRE) भर्ती परीक्षा में दोनों चरणों की परीक्षा आयोजित की जा चुकी है और शीघ्र ही परीक्षा अनुभाग द्वारा इसका परिणाम भी जारी किए जाने की आशा है।

इसके साथ-साथ, हिंदी अधिकारी ने माननीय समिति को यह भी सूचित किया कि हिंदी अनुभाग में कार्यरत कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी (हिं.), श्रीमती मिलन चौहान द्वारा भी राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में चयन हो जाने के कारण दिनांक 14 फरवरी, 2026 से संस्थान सेवा से त्यागपत्र दे दिया गया है। इस विषय पर विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत माननीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि श्रीमती मिलन चौहान के त्यागपत्र से रिक्त हुए पद को भरने हेतु भर्ती प्रकोष्ठ द्वारा शीघ्र ही भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ की जाए और परीक्षा अनुभाग द्वारा संस्थान में कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी (हिं.) के वर्तमान में रिक्त 03 नियमित पदों को भरने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई अतिशीघ्र पूर्ण की जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा समिति के उपर्युक्त निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया गया।

**कार्रवाई - भर्ती प्रकोष्ठ/परीक्षा अनुभाग**

4. **<u>संस्थान में नियमित रूप से हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन:-</u>** हिंदी अधिकारी द्वारा समिति को सूचित किया गया कि पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में संस्थान के विभिन्न विभागों/अनुभागों/केंद्रों में तैनात 35 कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के लिए दिनांक 12 मार्च, 2026 को एक दिवसीय विशेष हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया था जिसमें उन्हें अपना सरकारी कामकाज राजभाषा हिंदी में करने एवं इससे संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। हिंदी अधिकारी ने समिति को यह भी सूचित किया कि संस्थान में नियमित रूप से प्रत्येक तिमाही में हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है।

इस विषय पर विस्तृत चर्चा के उपरांत माननीय समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि हिंदी अनुभाग द्वारा संस्थान में आगे भी नियमित रूप से प्रत्येक तिमाही में हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा समिति के उपर्युक्त निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया गया।

**कार्रवाई - हिंदी अनुभाग**

5. **<u>संस्थान की तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा संबंधी</u>**:- इस विषय के सदंर्भ में हिंदी अधिकारी ने माननीय समिति को अवगत कराया कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी में मूल पत्राचार का लक्ष्य "क" क्षेत्र से "क" क्षेत्र को 100%, "क" क्षेत्र से "ख" क्षेत्र को 100%, "क" क्षेत्र से "ग" क्षेत्र को 70% और क" क्षेत्र से "क" तथा "ख" क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/ व्यक्तियों को हिंदी में मूल पत्राचार का लक्ष्य 100% निर्धारित किया गया है, लेकिन दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 को समाप्त तिमाही के दौरान "क" क्षेत्र से "क" क्षेत्र को संस्थान का हिंदी पत्राचार 81.47% है और "क" क्षेत्र से "ख" क्षेत्र को 66.59% तथा "क" क्षेत्र से "ग" क्षेत्र को 64.91% ही है।

हिंदी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा पर चर्चा के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा इस पर अपनी नाराजगी व्यक्त की गई और बैठक में उपस्थित सभी अधिकारीगण से अनुरोध किया कि "क" क्षेत्र से "क" क्षेत्र तथा "क" क्षेत्र से "ख" क्षेत्र एवं "क" क्षेत्र से "ग" क्षेत्र को संस्थान द्वारा किए जाने वाले हिंदी पत्राचार में वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित किए गए लक्ष्यों के अनुसार अपेक्षित बढ़ोतरी करने के गंभीर प्रयास किए जाएं।

तिमाही प्रगति रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा के उपरांत समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि मूल पत्राचार संबंधी निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति और "क" क्षेत्र से "ख" क्षेत्र एवं "क" क्षेत्र से "ग" क्षेत्र को संस्थान द्वारा किए जाने वाले हिंदी पत्राचार में अपेक्षित बढ़ोतरी करने के लिए तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता सभी अनुभागों/केंद्रों द्वारा गंभीरता से प्रयास किए जाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा समिति के उपर्युक्त निर्णयों को अपना अनुमोदन प्रदान किया गया।

**कार्रवाई - हिंदी अनुभाग/तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता सभी अनुभाग/केंद्र**

6. **'साहस' पोर्टल पर संस्थान के कर्मचारीगण के अर्जित अवकाश संबंधी प्रपत्र/टेम्पलेट को द्विभाषी रूप में जारी करने और ई-ऑफिस में फाइलों पर अधिकारी/कर्मचारीगण के नाम/पदनाम द्विभाषी <u>रूप में होने संबंधी:-</u>** माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से उपर्युक्त विषय पर समिति द्वारा विस्तृत विचार-विमर्श के दौरान उपर्युक्त दोनों बिन्दुओं पर अपेक्षित कार्रवाई निष्पादित करने के लिए समिति द्वारा कंप्यूटर सुविधा के प्रतिनिधि से पूछे जाने पर कंप्यूटर सुविधा के प्रतिनिधि श्री अमित भाटी, वरिष्ठ प्रोग्रामर द्वारा समिति को सूचित किया गया कि इस विषय में अपेक्षित कार्रवाई एन.आई.सी. द्वारा की जानी अपेक्षित है। समिति द्वारा इस विषय पर विचार-विमर्श उपरांत यह निर्णय लिया गया कि उक्त दोनों बिन्दुओं पर कंप्यूटर सुविधा द्वारा एन.आई.सी. के सहयोग से अपेक्षित कार्रवाई निष्पादित की जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा समिति के उपर्युक्त निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया गया।

**कार्रवाई - कंप्यूटर सुविधा**

हिंदी अधिकारी द्वारा माननीय निदेशक एवं अध्यक्ष महोदय, वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी महोदया तथा बैठक में उपस्थित अन्य सभी अधिकारीगण को आभार प्रकट करने के पश्चात बैठक सम्पन्न हुई।